




कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला - धमतरी (छ.ग.)

विभिन्न (संविदा) पद हेतु लिखित/कौशल परीक्षा उपरांत चयनित
अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रकाशन बाबत

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी के कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक CMHO/2017/115 धमतरी दिनांक 03/01/2017 द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के परिपालन में विभिन्न संविदा पद हेतु दिनांक 06/06/2017 से 08/06/2017 तक लिखित/कौशल परीक्षा आयोजित किया गया था। तत्संबंध में शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं लिखित परीक्षा में प्राप्तों के आधार पर चयन सूची जारी कर दिया गया था, तदसंबंध में चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश जिले के वेबसाइट www.dhamtari.nic.in में अपलोड कर दिया गया है। अन्य किसी माध्यम से नियुक्ति आदेश प्रेषित नहीं किया जावेगा। निर्धारित दिवस में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- चयनित अभ्यर्थियों की आदेश प्रपत्र।


08.8.17

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी


जिला - धमतरी (छ0ग0)

धमतरी, दिनांक 08/08/17

पृ.क्र./NHM/स्था./2017/7564-67

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय जिला धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, जिला धमतरी को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
3. जिला सूचना अधिकारी, एनआईसी, जिला धमतरी को सूची प्रेषित कर लेख है कि जिले के वेबसाइट www.dhamtari.nic.in में अपलोड करें।
4. जिला कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।


08.8.17

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला - धमतरी (छ0ग0)



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी, जिला - धमतरी (छ.ग.)

फैक्स नं. 07722-238479

ईमेल :- dpmu.dhamtari@gmail.com

फोन नं. 07722-238479

पत्र क्रमांक/ स्था./NHM/2017/

धमतरी, दिनांक ०१/०४/2017

264

// आदेश //

मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के पत्र क्रमांक/एनएचएम/2015/(NS-947)/2095 रायपुर दिनांक 27/01/2015 व पत्र क्र./एनएचएम/2016/(NS-1100)/2893 रायपुर दिनांक 01/03/2016, उप संचालक एनएचएम रायपुर का पत्र क्रमांक/एनयूएचएम/2016/(NS-1194)/2248 रायपुर दिनांक 04/01/2016 के परिपालन में इस कार्यालय के विज्ञापन क्रमांक/CMHO/2017/115 धमतरी दिनांक 03/01/2017 द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के परिपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन धमतरी के अंतर्गत **LAB Technician (AIDS)** (संविदा)पद की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा एवं अनुभव में प्राप्तांक के अनुसार गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्वास्थ्य संस्थाओं पर मासिक निश्चित एवं समेकित वेतन रूपये 12,000/- (बारह हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह उनके कार्य दिवस पर उपस्थित होने के दिनांक से 31 मार्च 2018 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है। आदेश दिनांक से 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थल
1	कु. दिनेश्वरी नेताम	श्री कृष्ण कुमार नेताम	UR	ब्लड बैंक, जिला चिकित्सालय धमतरी

नियम व शर्त :-

1. निश्चित एवं समेकित वेतन के अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा तथा वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
2. संविदा पद पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में शामिल होंगे।
3. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी।
4. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी को मुख्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनकी सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।


5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को एक वर्ष में 18 दिनों की आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
6. नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को अन्य समकक्ष पद वाले कर्मचारियों के समान नियमानुसार शासकीय दौरे के यात्रा भत्ते का पात्रता होगी।
8. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति सत्यापित करवाकर जमा करनी होगी तथा शासकीय/गैर शासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारी संस्था के नियोक्ता द्वारा प्रदायित अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की छायाप्रति सत्यापित कराकर कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करेंगे।
9. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा, ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन किया जाकर पुनः सेवा में लेने का निर्णय लिया जायेगा।


08.8.17

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला धमतरी (छ.ग.)
धमतरी, दिनांक 08/08/2017

पृ. क्रमांक/स्था./NHM/2017/7568-75
प्रतिलिपि:-

1. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर/अध्यक्ष महोदय, जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला अस्पताल धमतरी की ओर सूचनार्थ।
5. जिला नोडल अधिकारी, एड्स, जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ।
6. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन धमतरी की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित की ओर पालनार्थ।
8. कार्यालयीन प्रति।


08.8.17

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला धमतरी (छ.ग.)



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी, जिला - धमतरी (छ.ग.)

फैक्स नं. 07722-238479

ईमेल :-dpmu.dhamtari@gmail.com

फोन नं. 07722-238479

पत्र क्रमांक/ स्था./NHM/2017/

धमतरी, दिनांक ६३/८३/2017

265

// आदेश //


मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के पत्र क्रमांक/एनएचएम/2015/(NS-947)/2095 रायपुर दिनांक 27/01/2015 व पत्र क्र./एनएचएम/2016/(NS-1100)/2893 रायपुर दिनांक 01/03/2016, उप संचालक एनएचएम रायपुर का पत्र क्रमांक/एनयूएचएम/2016/(NS-1194)/2248 रायपुर दिनांक 04/01/2016 के परिपालन में इस कार्यालय के विज्ञापन क्रमांक/CMHO/2017/115 धमतरी दिनांक 03/01/2017 द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के परिपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन धमतरी के अंतर्गत **Social Worker (NTCP)** (संविदा)पद की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा एवं अनुभव में प्राप्तांक के अनुसार गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्वास्थ्य संस्थाओं पर मासिक निश्चित एवं समेकित वेतन रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह उनके कार्य दिवस पर उपस्थित होने के दिनांक से 31 मार्च 2018 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है। आदेश दिनांक से 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थल
1	श्री विकास कुमार	श्री आसुक कुमार	UR	जिला चिकित्सालय धमतरी

नियम व शर्त :-

1. निश्चित एवं समेकित वेतन के अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा तथा वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
2. संविदा पद पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में शामिल होंगे।
3. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी।
4. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी को मुख्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनकी सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को एक वर्ष में 18 दिनों की आकरिमक अवकाश तथा 3 दिनों की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

6. नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को अन्य समकक्ष पद वाले कर्मचारियों के समान नियमानुसार शासकीय दौरे के यात्रा भत्ते का पात्रता होगी।
8. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति सत्यापित करवाकर जमा करनी होगी तथा शासकीय/गैर शासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारी संस्था के नियोक्ता द्वारा प्रदायित अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की छायाप्रति सत्यापित कराकर कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करेंगे।
9. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा, ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन किया जाकर पुनः सेवा में लेने का निर्णय लिया जायेगा।


08-8-17


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक 08 / 08 / 2017

पृ. क्रमांक/स्था./NHM/2017/ 7577-84

प्रतिलिपि:—

1. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर/अध्यक्ष महोदय, जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला अस्पताल धमतरी की ओर सूचनार्थ।
5. जिला नोडल अधिकारी, एनटीसीपी, जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ।
6. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन धमतरी की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित की ओर पालनार्थ।
8. कार्यालयीन प्रति।


08-8-17

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला धमतरी (छ.ग.)



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी, जिला - धमतरी (छ.ग.)

फैक्स नं. 07722-238479

ईमेल :- dpmu.dhamtari@gmail.com

फोन नं. 07722-238479

पत्र क्रमांक/ स्था./NHM/2017/

धमतरी, दिनांक 08/08/2017

266
// आदेश //


मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के पत्र क्रमांक/एनएचएम/2015/(NS-947)/2095 रायपुर दिनांक 27/01/2015 व पत्र क्र./एनएचएम/2016/(NS-1100)/2893 रायपुर दिनांक 01/03/2016, उप संचालक एनएचएम रायपुर का पत्र क्रमांक/एनयूएचएम/2016/(NS-1194)/2248 रायपुर दिनांक 04/01/2016 के परिपालन में इस कार्यालय के विज्ञापन क्रमांक/CMHO/2017/115 धमतरी दिनांक 03/01/2017 द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के परिपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन धमतरी के अंतर्गत **Psychologist/Counciller (NTCP)** (संविदा)पद की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा एवं अनुभव में प्राप्तांक के अनुसार गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्वास्थ्य संस्थाओं पर मासिक निश्चित एवं समेकित वेतन रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह उनके कार्य दिवस पर उपस्थित होने के दिनांक से 31 मार्च 2018 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है। आदेश दिनांक से 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थल
1	श्रीमति मधु पाण्डेय	श्री सुदर्शन पाण्डेय	UR	जिला चिकित्सालय धमतरी

नियम व शर्त :-

1. निश्चित एवं समेकित वेतन के अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा तथा वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
2. संविदा पद पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में शामिल होंगे।
3. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी।
4. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी को मुख्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनकी सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को एक वर्ष में 18 दिनों की आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
6. नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को अन्य समकक्ष पद वाले कर्मचारियों के समान नियमानुसार शासकीय दौरे के यात्रा भत्ते का पात्रता होगी।
8. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति सत्यापित करवाकर जमा करनी होगी तथा शासकीय/गैर शासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारी संस्था के नियोक्ता द्वारा प्रदायित अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की छायाप्रति सत्यापित कराकर कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करेंगे।
9. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा, ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन किया जाकर पुनः सेवा में लेने का निर्णय लिया जायेगा।


08-8-17.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी


✓ जिला धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक 08/08/2017

पृ. क्रमांक/स्था./NHM/2017/7585-92

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर/अध्यक्ष महोदय, जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला अस्पताल धमतरी की ओर सूचनार्थ।
5. जिला नोडल अधिकारी, एनटीसीपी, जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ।
6. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन धमतरी की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित की ओर पालनार्थ।
8. कार्यालयीन प्रति।


08-8-17.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

✓ जिला धमतरी (छ.ग.)



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी, जिला - धमतरी (छ.ग.)

फैक्स नं. 07722-238479

ईमेल :- dpmu.dhamtari@gmail.com

फोन नं. 07722-238479

पत्र क्रमांक/ स्था./NHM/2017/

धमतरी, दिनांक ०९/०९/2017

267

// आदेश //


मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के पत्र क्रमांक/एनएचएम/2015/(NS-947)/2095 रायपुर दिनांक 27/01/2015 व पत्र क्र./एनएचएम/2016/(NS-1100)/2893 रायपुर दिनांक 01/03/2016, उप संचालक एनएचएम रायपुर का पत्र क्रमांक/एनएचएम/2016/(NS-1194)/2248 रायपुर दिनांक 04/01/2016 के परिपालन में इस कार्यालय के विज्ञापन क्रमांक/CMHO/2017/115 धमतरी दिनांक 03/01/2017 द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के परिपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन धमतरी के अंतर्गत **Data Entry Operator (NTCP)** (संविदा)पद की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा एवं अनुभव में प्राप्तांक के अनुसार गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्वास्थ्य संस्थाओं पर मासिक निश्चित एवं समेकित वेतन रूपये 12,000/- (बारह हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह उनके कार्य दिवस पर उपस्थित होने के दिनांक से 31 मार्च 2018 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है। आदेश दिनांक से 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थल
1	श्री तिजेन्द्र कुमार साहू	श्री राम साहू	UR	जिला चिकित्सालय धमतरी

नियम व शर्त :-

1. निश्चित एवं समेकित वेतन के अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा तथा वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
2. संविदा पद पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में शामिल होंगे।
3. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी।
4. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी को मुख्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनकी सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को एक वर्ष में 18 दिनों की आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
6. नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को अन्य समकक्ष पद वाले कर्मचारियों के समान नियमानुसार शासकीय दौरे के यात्रा भत्ते का पात्रता होगी।
8. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति सत्यापित करवाकर जमा करनी होगी तथा शासकीय/गैर शासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारी संस्था के नियोक्ता द्वारा प्रदायित अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की छायाप्रति सत्यापित कराकर कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करेंगे।
9. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा, ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन किया जाकर पुनः सेवा में लेने का निर्णय लिया जायेगा।


०४.४.१७


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला धमतरी (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था./NHM/2017/7593-7600
प्रतिलिपि:—

धमतरी, दिनांक ०४/०४/2017

1. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर/अध्यक्ष महोदय, जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला अस्पताल धमतरी की ओर सूचनार्थ।
5. जिला नोडल अधिकारी, एनटीसीपी, जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ।
6. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन धमतरी की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित की ओर पालनार्थ।
8. कार्यालयीन प्रति।


०४.४.१७

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला धमतरी (छ.ग.)



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी, जिला - धमतरी (छ.ग.)

फैक्स नं. 07722-238479

ईमेल :-dpmu.dhamtari@gmail.com

फोन नं. 07722-238479

पत्र क्रमांक/ स्था./NHM/2017/

धमतरी, दिनांक ०९/०९/2017

268
// आदेश //


मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के पत्र क्रमांक/एनएचएम/2015/(NS-947)/2095 रायपुर दिनांक 27/01/2015 व पत्र क्र./एनएचएम/2016/(NS-1100)/2893 रायपुर दिनांक 01/03/2016, उप संचालक एनएचएम रायपुर का पत्र क्रमांक/एनयूएचएम/2016/(NS-1194)/2248 रायपुर दिनांक 04/01/2016 के परिपालन में इस कार्यालय के विज्ञापन क्रमांक/CMHO/2017/115 धमतरी दिनांक 03/01/2017 द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के परिपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन धमतरी के अंतर्गत **Instruction for the young Hearing Impaired Children (NPPCD)** (संविदा)पद की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा एवं अनुभव में प्राप्तांक के अनुसार गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्वास्थ्य संस्थाओं पर मासिक निश्चित एवं समेकित वेतन रुपये 15,000/- (पंद्रह हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह उनके कार्य दिवस पर उपस्थित होने के दिनांक से 31 मार्च 2018 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है। आदेश दिनांक से 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थल
1	श्री खेमराज	श्री प्रेमूलाल	UR	जिला चिकित्सालय धमतरी

नियम व शर्तें :-

1. निश्चित एवं समेकित वेतन के अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा तथा वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
2. संविदा पद पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में शामिल होंगे।
3. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी।
4. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी को मुख्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनकी सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को एक वर्ष में 18 दिनों की आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
6. नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को अन्य समकक्ष पद वाले कर्मचारियों के समान नियमानुसार शासकीय दौरे के यात्रा भत्ते का पात्रता होगी।
8. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति सत्यापित करवाकर जमा करनी होगी तथा शासकीय/गैर शासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारी संस्था के नियोक्ता द्वारा प्रदायित अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की छायाप्रति सत्यापित कराकर कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करेंगे।
9. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा, ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन किया जाकर पुनः सेवा में लेने का निर्णय लिया जायेगा।


08.8.17.


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक 08/08/2017

पृ. क्रमांक/स्था./NHM/2017/7604-08
प्रतिलिपि:- 7602-08

1. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर/अध्यक्ष महोदय, जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला अस्पताल धमतरी की ओर सूचनार्थ।
5. जिला नोडल अधिकारी, एनपीपीसीडी, जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ।
6. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन धमतरी की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित की ओर पालनार्थ।
8. कार्यालयीन प्रति।


08.8.17

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला धमतरी (छ.ग.)



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी, जिला – धमतरी (छ.ग.)

फैक्स नं. 07722-238479

ईमेल :- dpmu.dhamtari@gmail.com

फोन नं. 07722-238479

पत्र क्रमांक/ स्था./NHM/2017/

धमतरी, दिनांक ०३/०३/2017

269

// आदेश //


मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के पत्र क्रमांक/एनएचएम/2015/(NS-947)/2095 रायपुर दिनांक 27/01/2015 व पत्र क्र./एनएचएम/2016/(NS-1100)/2893 रायपुर दिनांक 01/03/2016, उप संचालक एनएचएम रायपुर का पत्र क्रमांक/एनयूएचएम/2016/(NS-1194)/2248 रायपुर दिनांक 04/01/2016 के परिपालन में इस कार्यालय के विज्ञापन क्रमांक/CMHO/2017/115 धमतरी दिनांक 03/01/2017 द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के परिपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन धमतरी के अंतर्गत **Audiometric Assistant (NPPCD)** (संविदा)पद की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा एवं अनुभव में प्राप्तांक के अनुसार गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्वास्थ्य संस्थाओं पर मासिक निश्चित एवं समेकित वेतन रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह उनके कार्य दिवस पर उपस्थित होने के दिनांक से 31 मार्च 2018 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है। आदेश दिनांक से 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थल
1	श्री टिकेश कुमार शर्मा	श्री हैग्रीव प्रसाद शर्मा	UR	जिला चिकित्सालय धमतरी

नियम व शर्त :-

1. निश्चित एवं समेकित वेतन के अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा तथा वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
2. संविदा पद पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में शामिल होंगे।
3. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी।
4. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी को मुख्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनकी सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को एक वर्ष में 18 दिनों की आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
6. नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को अन्य समकक्ष पद वाले कर्मचारियों के समान नियमानुसार शासकीय दौरे के यात्रा भत्ते का पात्रता होगी।
8. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति सत्यापित करवाकर जमा करनी होगी तथा शासकीय/गैर शासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारी संस्था के नियोक्ता द्वारा प्रदायित अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की छायाप्रति सत्यापित कराकर कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करेंगे।
9. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा, ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन किया जाकर पुनः सेवा में लेने का निर्णय लिया जायेगा।


08-8-17.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी


41 जिला धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक 08/08/2017

पृ. क्रमांक/स्था./NHM/2017/ 7609-16

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर/अध्यक्ष महोदय, जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला अस्पताल धमतरी की ओर सूचनार्थ।
5. जिला नोडल अधिकारी, एनपीपीसीडी, जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ।
6. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन धमतरी की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित की ओर पालनार्थ।
8. कार्यालयीन प्रति।


08-8-17

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

41 जिला धमतरी (छ.ग.)



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी, जिला – धमतरी (छ.ग.)

फैक्स नं. 07722-238479

ईमेल :- dpmu.dhamtari@gmail.com

फोन नं. 07722-238479

पत्र क्रमांक/ स्था./NHM/2017/

धमतरी, दिनांक ०४/०४/2017

270
आदेश //


मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के पत्र क्रमांक/एनएचएम/2015/(NS-947)/2095 रायपुर दिनांक 27/01/2015 व पत्र क्र./एनएचएम/2016/(NS-1100)/2893 रायपुर दिनांक 01/03/2016, उप संचालक एनएचएम रायपुर का पत्र क्रमांक/एनयूएचएम/2016/(NS-1194)/2248 रायपुर दिनांक 04/01/2016 के परिपालन में इस कार्यालय के विज्ञापन क्रमांक/CMHO/2017/115 धमतरी दिनांक 03/01/2017 द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के परिपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन धमतरी के अंतर्गत **Accountant (RNTCP)** (संविदा)पद की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा एवं अनुभव में प्राप्तांक के अनुसार गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्वास्थ्य संस्थाओं पर मासिक निश्चित एवं समेकित वेतन रूपये 10,000/- (दस हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह उनके कार्य दिवस पर उपस्थित होने के दिनांक से 31 मार्च 2018 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है। आदेश दिनांक से 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थल
1	श्रीमति नदिनी सेन	श्री कमलेश कुमार सेन	UR	जिला चिकित्सालय धमतरी

नियम व शर्त :-

1. निश्चित एवं समेकित वेतन के अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा तथा वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
2. संविदा पद पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में शामिल होंगे।
3. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी।
4. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी को मुख्यालय में निवारा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनकी सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को एक वर्ष में 18 दिनों की आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
6. नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को अन्य समकक्ष पद वाले कर्मचारियों के समान नियमानुसार शासकीय दौरे के यात्रा भत्ते का पात्रता होगी।
8. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति सत्यापित करवाकर जमा करनी होगी तथा शासकीय/गैर शासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारी संस्था के नियोक्ता द्वारा प्रदायित अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की छायाप्रति सत्यापित कराकर कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करेंगे।
9. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा, ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन किया जाकर पुनः सेवा में लेने का निर्णय लिया जायेगा।


08-8-17.


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक ०३ / ०३ / 2017

पृ. क्रमांक/स्था./NHM/2017/7617-24

प्रतिलिपि:—

1. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर/अध्यक्ष महोदय, जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला अस्पताल धमतरी की ओर सूचनार्थ।
5. जिला नोडल अधिकारी, आरएनटीसीपी, जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ।
6. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन धमतरी की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित की ओर पालनार्थ।
8. कार्यालयीन प्रति।


08-8-17.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला धमतरी (छ.ग.)



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी, जिला – धमतरी (छ.ग.)

फैक्स नं. 07722-238479

ईमेल :-dpmu.dhamtari@gmail.com

फोन नं. 07722-238479

पत्र क्रमांक/ स्था./NHM/2017/

धमतरी, दिनांक ०९/०३/2017

271

// आदेश //


मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के पत्र क्रमांक/एनएचएम/2015/(NS-947)/2095 रायपुर दिनांक 27/01/2015 व पत्र क्र./एनएचएम/2016/(NS-1100)/2893 रायपुर दिनांक 01/03/2016, उप संचालक एनएचएम रायपुर का पत्र क्रमांक/एनएचएम/2016/(NS-1194)/2248 रायपुर दिनांक 04/01/2016 के परिपालन में इस कार्यालय के विज्ञापन क्रमांक/CMHO/2017/115 धमतरी दिनांक 03/01/2017 द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के परिपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन धमतरी के अंतर्गत **Audiologist (NPPCD)** (संविदा)पद की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा एवं अनुभव में प्राप्तांक के अनुसार गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्वास्थ्य संस्थाओं पर मासिक निश्चित एवं समेकित वेतन रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह उनके कार्य दिवस पर उपस्थित होने के दिनांक से 31 मार्च 2018 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है। आदेश दिनांक से 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थल
1	श्री मोहन मुरली सोनी	श्री कृष्ण कुमार सोनी	UR	जिला चिकित्सालय धमतरी

नियम व शर्त :-

1. निश्चित एवं समेकित वेतन के अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा तथा वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
2. संविदा पद पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में शामिल होंगे।
3. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी।
4. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी को मुख्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनकी सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को एक वर्ष में 18 दिनों की आकरिमिक अवकाश तथा 3 दिनों की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
6. नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को अन्य- समकक्ष पद वाले कर्मचारियों के समान नियमानुसार शासकीय दौरे के यात्रा भत्ते का पात्रता होगी।
8. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति सत्यापित करवाकर जमा करनी होगी तथा शासकीय/गैर शासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारी संस्था के नियोक्ता द्वारा प्रदायित अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की छायाप्रति सत्यापित कराकर कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करेंगे।
9. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा, ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन किया जाकर पुनः सेवा में लेने का निर्णय लिया जायेगा।


08.8.17.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी


५५ जिला धमतरी (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था./NHM/2017/7625-32

धमतरी, दिनांक 08/08/2017

प्रतिलिपि:—

1. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर/अध्यक्ष महोदय, जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला अस्पताल धमतरी की ओर सूचनार्थ।
5. जिला नोडल अधिकारी, एनपीपीसीडी, जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ।
6. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन धमतरी की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित की ओर पालनार्थ।
8. कार्यालयीन प्रति।


08.8.17.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

५५ जिला धमतरी (छ.ग.)



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी, जिला – धमतरी (छ.ग.)

फैक्स नं. 07722-238479

ईमेल :- dpmu.dhamtari@gmail.com

फोन नं. 07722-238479

पत्र क्रमांक/ स्था./NHM/2017/

धमतरी, दिनांक 08/08/2017

272
// आदेश //


मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के पत्र क्रमांक/एनएचएम/2015/(NS-947)/2095 रायपुर दिनांक 27/01/2015 व पत्र क्र./एनएचएम/2016/(NS-1100)/2893 रायपुर दिनांक 01/03/2016, उप संचालक एनएचएम रायपुर का पत्र क्रमांक/एनएचएम/2016/(NS-1194)/2248 रायपुर दिनांक 04/01/2016 के परिपालन में इस कार्यालय के विज्ञापन क्रमांक/CMHO/2017/115 धमतरी दिनांक 03/01/2017 द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के परिपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन धमतरी के अंतर्गत **Dental Assistant (NCD)** (संविदा)पद की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा एवं अनुभव में प्राप्तांक के अनुसार गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्वास्थ्य संस्थाओं पर मासिक निश्चित एवं समेकित वेतन रूपये 10,000/- (दस हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह उनके कार्य दिवस पर उपस्थित होने के दिनांक से 31 मार्च 2018 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है। आदेश दिनांक से 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थल
1	श्री खिलेश कुमार	श्री समारू राम	UR	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मगरलोड
2	श्रीमति उषा ध्रुव	श्री दिलीप सिंह ध्रुव	UR	सिविल अस्पताल कुरुद
3	श्री गोपी कृष्ण साहू	श्री यशवंत कुमार साहू	OBC	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुजरा
4	श्री खेमन	श्री ओमप्रकाश	ST	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरी

नियम व शर्तें :-

- निश्चित एवं समेकित वेतन के अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा तथा वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
- संविदा पद पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में शामिल होंगे।

3. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी ।
4. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी को मुख्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनकी सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को एक वर्ष में 18 दिनों की आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
6. नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को अन्य समकक्ष पद वाले कर्मचारियों के समान नियमानुसार शासकीय दौरे के यात्रा भत्ते का पात्रता होगी।
8. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति सत्यापित करवाकर जमा करनी होगी तथा शासकीय/गैर शासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारी संस्था के नियोक्ता द्वारा प्रदायित अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की छायाप्रति सत्यापित कराकर कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करेंगे।
9. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा, ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन किया जाकर पुनः सेवा में लेने का निर्णय लिया जायेगा।


08. 8.17


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक 08/08/2017

पृ. क्रमांक/स्था./NHM/2017/7633-40
प्रतिलिपि:-

1. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर/अध्यक्ष महोदय, जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला अस्पताल धमतरी की ओर सूचनार्थ।
5. जिला नोडल अधिकारी, एनसीडी, जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ।
6. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन धमतरी की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित की ओर पालनार्थ।
8. कार्यालयीन प्रति।


08. 8.17

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला धमतरी (छ.ग.)



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी, जिला – धमतरी (छ.ग.)

फैक्स नं. 07722-238479

ईमेल :- dpmu.dhamtari@gmail.com

फोन नं. 07722-238479

पत्र क्रमांक/ रथा./NHM/2017/

धमतरी, दिनांक ०४/०३/2017

272
// आदेश //

मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के पत्र क्रमांक/एनएचएम/2015/(NS-947)/2095 रायपुर दिनांक 27/01/2015 व पत्र क्र./एनएचएम/2016/(NS-1100)/2893 रायपुर दिनांक 01/03/2016, उप संचालक एनएचएम रायपुर का पत्र क्रमांक/एनयूएचएम/2016/(NS-1194)/2248 रायपुर दिनांक 04/01/2016 के परिपालन में इस कार्यालय के विज्ञापन क्रमांक/CMHO/2017/115 धमतरी दिनांक 03/01/2017 द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के परिपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन धमतरी के अंतर्गत **Dental Assistant (NCD)** (संविदा)पद की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा एवं अनुभव में प्राप्तांक के अनुसार गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्वास्थ्य संस्थाओं पर मासिक निश्चित एवं समेकित वेतन रूपये 10,000/- (दस हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह उनके कार्य दिवस पर उपस्थित होने के दिनांक से 31 मार्च 2018 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है। आदेश दिनांक से 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थल
1	श्री खिलेश कुमार	श्री समारू राम	UR	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मगरलोड
2	श्रीमति उषा ध्रुव	श्री दिलीप सिंह ध्रुव	UR	सिविल अस्पताल कुरुद
3	श्री गोपी कृष्ण साहू	श्री यशवंत कुमार साहू	OBC	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुजरा
4	श्री खेमन	श्री ओमप्रकाश	ST	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरी

नियम व शर्त :-

1. निश्चित एवं समेकित वेतन के अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा तथा वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
2. संविदा पद पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में शामिल होंगे।